



मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Fortune Riceland/675/3162 भोपाल, दिनांक 03/08/2023

प्रति,

Fortune Riceland Pvt. Ltd.,

पंजीकृत कार्यालय - 449-456, 1st Floor, Naya Bans, Khari Baoli Delhi-110006

स्थानीय पता - Village Chargaon, Post Harsily, Pitampur Road, Tehsil - Bareli, District Raisen, M.P. - 464665

विषय :- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति के संबंध में।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 19/09/2022।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु Fortune Riceland Pvt. Ltd. से संदर्भित आवेदन प्राप्त हुआ है।

2. संदर्भित आवेदन के माध्यम से निम्न विनिर्दिष्ट मंडियों के क्षेत्रांतर्गत कारोबार करने हेतु क्रय केंद्र स्थापना की अनुमति हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है -

क्र	मंडी समिति का नाम	क्रय की जाने वाली कृषि उपज का समूह
1	बरेली	धान्य तथा दलहन
2	बकतरा	धान्य तथा दलहन
3	विदिशा	धान्य तथा दलहन
4	सिलवानी	धान्य तथा दलहन
5	पिपरिया	धान्य तथा दलहन
6	रायसेन	धान्य तथा दलहन
7	उदयपुरा	धान्य तथा दलहन
8	इटारसी	धान्य तथा दलहन
9	औबेदुल्लागंज	धान्य तथा दलहन

10	गाडरवाड़ा	धान्य तथा दलहन
11	डबरा	धान्य तथा दलहन


3. आवेदन पर विचारोपरांत अधिसूचित प्राधिकारी प्रबंध संचालक महोदय द्वारा Fortune Riceland Pvt. Ltd. को नियम 2009 के तहत उक्त बिंदु 2 में अंकित मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने का विनिश्चय किया गया है। अधिसूचित प्राधिकारी के विनिश्चय उपरांत विशेष अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र एवं संलग्नक प्रसारित किया जा रहा है, पत्र के संलग्न प्रेषित है।

4. संलग्नक में अनुमोदित क्रय केंद्रों की सूची संलग्न है जोकि उक्त विशेष अनुज्ञप्ति का भाग होगी। उक्त सभी क्रय केंद्रों को सम्मिलित कर अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम 2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।

5. अधिनियम, नियम, उपविधि, के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

  
सहायक संचालक (नियमन)  
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Fortune Riceland/675/31633 भोपाल, दिनांक 03/08/2023


प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त/उप संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध है। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाएं।

2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी Fortune Riceland Pvt. Ltd. को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति (अद्यतन) की ई-अनुज्ञा मॉड्यूल में आवश्यक प्रविष्टि किया जाएं।

  
सहायक संचालक (नियमन)  
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय  
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन  
(नियम 9 देखिए)

एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2023/26

दिनांक 03 /08/2023

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स Fortune Riceland Pvt. Ltd., पता पंजीकृत कार्यालय - 449-456, 1st Floor, Naya Bans, Khari Baoli Delhi-110006 स्थानीय पता - Village Chargaon, Post Harsily, Pitampur Road, Tehsil - Bareli, District Raisen, M.P. - 464665 को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु तारीख ...03... माह...अगस्त... वर्ष 2023 को विशेष अनुज्ञप्ति अनंतिम रूप से दी जाती है :-

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारोबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारोबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारोबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
संलग्न सूची - परिशिष्ट - 1 अनुसार.						

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केन्द्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे :-

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा {मीट्रिक टन में {नियम 4 (2) देखिए}}
1	धान्य तथा दलहन	2000 मीट्रिक टन

3. अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केंद्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा :-

- (एक) इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज  
(दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था  
(तीन) समुचित प्रकाश व्यवस्था  
(चार) पुरुष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा  
(पांच) शेड की व्यवस्था  
(छह) कृषकों के लिये छायादार विश्राम स्थल  
(सात) भुगतान काउंटर  
(आठ) ट्रैक्टर ट्राली की पार्किंग की समुचित व्यवस्था  
(नौ) नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति

(दस) प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापना (ग्यारह) क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण.

एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामले में -

(एक) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म

(दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा.

(तीन) सुपुर्दगी केन्द्र

विनिर्दिष्ट क्रय केंद्रों में से किसी क्रय केंद्रों में प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त प्रसुविधाओं को सृजित करने में असफल रहने पर, एक वर्ष के लिये दो गई अनंतिम विशेष अनुज्ञप्ति को ऐसे क्रय केंद्र के लिये आगामी वर्षों के लिये नियमित नहीं किया जाएगा.

4. यह विशेष अनंतिम अनुज्ञप्ति दिनांक <sup>03</sup>...../08/2023 से <sup>02</sup>...../08/2024 तक प्रभावशील रहेगी, परंतु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रद्द की जा सकेगी.

5. यह अनंतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी :-

(एक) विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर.

(दो) मंडी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर.

(तीन) मंडी फीस का अपवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मंडी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर.

(चार) मंडी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर.

(पांच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियों प्रस्तुत न करने पर.

(छ) बोर्ड, मंडी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर.

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर.

(प्रबंध संचालक सह आयुक्त के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)

अनुज्ञप्ति जसकेर्ता कार्यालय की मोहर



*(Signature)*

सहायक संचालक (नियमन)  
वास्ते - अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी  
प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

Fortune Riceland Pvt. Ltd.

पंजीकृत कार्यालय - 449-456, 1st Floor, Naya Bans, Khari Baoli Delhi-110006


स्थानीय पता - Village Chargaon, Post Harsily, Pitampur Road, Tehsil - Bareli, District Raisen, M.P. - 464665

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	धान्य तथा दलहन	बरेली	बरेली	-	Fortune Riceland Pvt. Ltd. Village Chargaon, Post Harsily, Pitampur Road, Tehsil - Bareli, District Raisen, M.P. - 464665	श्री दिनेश कुमार मो.नं.- 96399 44266
2	धान्य तथा दलहन	बकतरा	बकतरा	-	Fortune Riceland Pvt. Ltd. Village Chargaon, Post Harsily, Pitampur Road, Tehsil - Bareli, District Raisen, M.P. - 464665	श्री दिनेश कुमार मो.नं.- 96399 44266
3	धान्य तथा दलहन	विदिशा	विदिशा	-	Fortune Riceland Pvt. Ltd. Village Chargaon, Post Harsily, Pitampur Road, Tehsil - Bareli, District Raisen, M.P. - 464665	श्री दिनेश कुमार मो.नं.- 96399 44266
4	धान्य तथा दलहन	सिलवानी	सिलवानी	-	Fortune Riceland Pvt. Ltd. Village Chargaon, Post Harsily, Pitampur Road, Tehsil - Bareli, District Raisen, M.P. - 464665	श्री दिनेश कुमार मो.नं.- 96399 44266

5	धान्य तथा दलहन	पिपरिया	पिपरिया	-	Fortune Riceland Pvt. Ltd. Village Chargaon, Post Harsily, Pitampur Road, Tehsil - Bareli, District Raisen, M.P. - 464665	श्री दिनेश कुमार मो.नं.- 96399 44266
6	धान्य तथा दलहन	रायसेन	रायसेन	-	Fortune Riceland Pvt. Ltd. Village Chargaon, Post Harsily, Pitampur Road, Tehsil - Bareli, District Raisen, M.P. - 464665	श्री दिनेश कुमार मो.नं.- 96399 44266
7	धान्य तथा दलहन	उदयपुरा	उदयपुरा	-	Fortune Riceland Pvt. Ltd. Village Chargaon, Post Harsily, Pitampur Road, Tehsil - Bareli, District Raisen, M.P. - 464665	श्री दिनेश कुमार मो.नं.- 96399 44266
8	धान्य तथा दलहन	इटारसी	इटारसी	-	Fortune Riceland Pvt. Ltd. Village Chargaon, Post Harsily, Pitampur Road, Tehsil - Bareli, District Raisen, M.P. - 464665	श्री दिनेश कुमार मो.नं.- 96399 44266
9	धान्य तथा दलहन	औबेदुल्ला गंज	औबेदुल्ला गंज	-	Fortune Riceland Pvt. Ltd. Village Chargaon, Post Harsily, Pitampur Road, Tehsil - Bareli, District Raisen, M.P. - 464665	श्री दिनेश कुमार मो.नं.- 96399 44266
10	धान्य तथा दलहन	गाडरवाड़ा	गाडरवाड़ा	-	Fortune Riceland Pvt. Ltd. Village Chargaon, Post Harsily, Pitampur Road, Tehsil - Bareli, District Raisen, M.P. - 464665	श्री दिनेश कुमार मो.नं.- 96399 44266

11	धान्य तथा दलहन	डबरा	डबरा	-	Fortune Riceland Pvt. Ltd. Village Chargaon, Post Harsily, Pitampur Road, Tehsil - Bareli, District Raisen, M.P. - 464665	श्री दिनेश कुमार मो.नं.- 96399 44266
----	-------------------	------	------	---	--	--

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित एवं आदेशानुसार)

  
सहायक संचालक (नियमन)  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल